कोटि गायत्री महायज्ञ: वेद मंत्रों से गूंजा डेरा बाबा रुद्रानंद धाम

हजारों श्रद्धालुओं ने स्वामी हेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद







दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले मनुष्य अपने भीतर झांके, यह देखे की स्वयं समाज और धर्म के लिए क्या कर रहा है

सवेरा न्यूज़/राजीव भनोट

ऊना, 20 नवंबर:उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल डेरा बाबा रुद्रानंद धाम नारी में पंचभीष्म पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित कोटि गायत्री महायज्ञ से समूचा क्षेत्र भक्तिरस में सराबोर है। आश्रम परिसर में जहां कृष्ण भजनों से वृंदावन जैसी आध्यात्मिक छटा बिखर रही है, वहीं यज्ञशाला में विश्व कल्याण की कामना के साथ कोटि गायत्री मंत्रों का जाप किया जा रहा है। वेद मंत्रों और हवन की आहुतियों से यज्ञ नगरी का वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक हो उठा है।

शुक्रवार को महायज्ञ के पांचवें दिन हजारों श्रद्धालुओं ने अखंड धूने पर शीश नवाया और डेरा के अधिष्ठाता श्री श्री 1008 विद्यालंकार स्वामी हेमानंद महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। सुबह करीब सवा नौ बजे हेमानंद महाराज अखंड धूने पर विराजमान हुए। दोपहर को वे धूने के बाहर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, जहां दिनभर श्रद्धालुओं की दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कतारें लगी रहीं। यज्ञशाला में वाराणसी से पधारे आचार्य लोकेंद्र शर्मा ने सुबह वेद माता गायत्री की विधिवत पूजा-अर्चना करवाई।

रामानंद महाराज ने की हेमानंद महाराज के कार्यों की सराहना : शुक्रवार को अजनोली से स्वामी रामानंद महाराज भी महायज्ञ में विशेष रूप से पधारे। श्री डेरा बाबा रुद्रानंद जी ट्रस्ट के सचिव परवीन शर्मा, प्रवेश शर्मा, भूपिंदर और संजीव सहोड़ ने उनका वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पुष्पमालाओं से स्वागत किया। रामानंद महाराज ने अखंड धूने पर शीश नवाया और हेमानंद महाराज को नमन किया। इसके बाद उन्होंने यज्ञशाला की परिक्रमा भी की। भागवत कथा के दौरान अपने संबोधन में रामानंद महाराज ने कहा कि धार्मिक स्थानों पर आकर अनावश्यक टीका-टिप्पणी करने से बचना चाहिए। मनुष्य को गुरु चरणों में बैठकर गुरुओं का स्मरण करना चाहिए और उनके कार्यों में सहयोग देना चाहिए। उन्होंने हेमानंद महाराज की खुले मन से प्रशंसा करते हुए कहा कि वे वृंदावन में भक्तों के लिए भव्य आश्रमों का निर्माण कर रहे हैं और इस पावन धाम की प्रतिष्ठा को निरंतर बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिष्य कई बार गुरु से बढ़कर कार्य कर जाता है और कई बार अपेक्षा से कम भी कर पाता है, लेकिन गुरु के समान कोई नहीं हो सकता। उन्होंने ट्रस्ट सचिव परवीन शर्मा के कार्यों की भी सराहना करते हुए उन्हें अच्छा व्यक्ति बताया।

आचार्य ऋषि राज ने भी यज्ञ में डालीं आहुतियां

पंजाब के नवांशहर से आचार्य ऋषि राज भी डेरा बाबा रुद्रानंद धाम पहुंचे। ट्रस्ट सचिव परवीन शर्मा, पंडित भूपिंदर और जय लाल सहित अन्य श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने हेमानंद महाराज के साथ यज्ञशाला में हवन कुंड में आहुतियां अर्पित कीं। इस अवसर पर श्री डेरा बाबा रुद्रानंद जी ट्रस्ट के सचिव परवीन शर्मा, अमेरिका से पहुंचे कुलभूषण शर्मा, कांता शर्मा, दुबई से प्रदीप शर्मा, लुधियाना से दीपक जैन, प्रवेश शर्मा, जीवन शर्मा, संजीव सहोड़, सुभाष शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

लक्ष्मी नारायण तिवारी शास्त्री ने सुनाए भागवत के प्रसंग

वहीं वृंदावन से पधारे प्रसिद्ध कथावाचक लक्ष्मी नारायण तिवारी शास्त्री ने भागवत कथा के चौथे दिन विभिन्न धार्मिक प्रसंगों के माध्यम से श्रद्धालुओं को जीवन में सदाचार अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि मनुष्य का आचरण अच्छा होना चाहिए, क्योंकि संगति से ही अच्छाई और बुराई का प्रभाव जीवन में आता है। यदि मनुष्य का आचरण श्रेष्ठ होगा तो बुराइयां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकतीं। उन्होंने कहा कि शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य को अपने कर्मों का फल परमेश्वर के समक्ष भोगना पड़ता है। दंड और पुरस्कार देने वाले परमेश्वर ही हैं। गृहस्थ जीवन में अनेक कठिनाइयां आती हैं, लेकिन मनुष्य को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने चाहिए। धर्म ही परलोक यात्रा का वास्तविक साधन है।

शिमला में चिट्टे और अफीम के साथ चार तस्कर गिरफ्तार

सवेरा ब्यूरो

शिमला, 20 नवंबर: शिमला में नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस की अलग-अलग टीमों ने शोघी, संजौली और सुन्नी में नाकाबंदी व तलाशी अभियान के दौरान चिट्टे और अफीम के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कुल 33 ग्राम चिट्टा (हेरोइन), 195 ग्राम अफीम और 68 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पहला मामला बालूगंज थाना क्षेत्र के शोघी का है। स्पेशल सेल की टीम ने देर रात चंडीगढ़ से शिमला आ रही बस को जांच के लिए रोका। यात्रियों के सामान की तलाशी के दौरान संदीप (21) निवासी रामपुर के कब्जे से 27 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया है। न्यायालय ने उसे चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है।

चंडीगढ़ से चिट्टा लेकर लौट रहा था आरोपी

दूसरी कार्रवाई संजौली थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि अमित चौहान (39) निवासी लोअर समिट्री, शिमला चंडीगढ़ से चिट्टा लेकर लौट रहा है। इस पर पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ले कर कार से करीब छह ग्राम चिट्टा बरामद किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे तीन दिन का पुलिस रिमांड मिला है।

कार की डिक्की से अफीम और नकदी बरामद

तीसरा मामला सुन्नी क्षेत्र का है। नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी की तलाशी लेने पर डिक्की में रखे कैरी बैग से करीब 195 ग्राम अफीम और 68 हजार रुपये नकद बरामद हुए। पुलिस ने गाड़ी में सवार गुरजीत सिंह (36) निवासी तहसील करसोग और करम दास (49) निवासी तहसील निहरी, जिला मंडी को गिरफ्तार किया है।

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यालय का नाम	एनआईटी सं./ कार्य का नाम	आरंभ तिथि (समय) / समापन तिथि (समय)	अनुमानित लागत / बयाना राशि (₹)
अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता निर्माण मंडल, बीबीएमबी, धूलकोट, अंबाला शहर	03/CDC/2026-27 2026_BBMB_297799_1	13.11.2026, 17:00 बजे से 04.12.2026, 16:00 बजे	₹15,31,000/- ₹30,620/-
	एसएलडीसी परिसर, औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, बीबीएमबी, चंडीगढ़ स्थित एनपीएच कॉलोनी के आवासों के क्षतिग्रस्त फर्शों का R&R		
वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता जल विद्युत नहर एवं बीजी मंडल, बीबीएमबी सुंदरनगर	एनआईटी नं.: 12/2026-27 बीएसएल (पी), बीबीएमबी, सुंदरनगर में रोपा स्थित सुकेती खड्ड के निकट साइफन एस्केप के एलंज पूल क्षेत्र के पास	प्रारंभ तिथि (समय) 12.11.2026, सायं 17:00 बजे समापन तिथि (समय) 08.12.2026, अपराह्न 15:30 बजे तक खोलने की तिथि 09.12.2026 (15:30 बजे)	₹64.26 लाख ₹1,28,600.00
	एसएनएचसी के दोनों ओर सीमेंट कंक्रीट नाले का पुनर्निर्माण एवं निर्माण कार्य।		
	एनआईटी नं.: 13/2026-27 बीबीएमबी, सुंदरनगर की एसएनएचसी के दाईं ओर आरडी + 4200 मीटर से + 5500 मीटर के बीच बाहरी ढलान में मिट्टी की भराई का कार्य।	प्रारंभ तिथि (समय) 05.11.2026, सायं 17:00 बजे समापन तिथि (समय) 02.12.2026, अपराह्न 15:30 बजे तक खोलने की तिथि 03.12.2026 (15:30 बजे)	₹2.91 लाख ₹5,850.00
	एनआईटी नं.: 15/2026-27 बीएसएल (पी), बीबीएमबी, सुंदरनगर की सुंदरनगर जल विद्युत नहर के दाएं किनारे पर (चरण-3) में कच्ची सेवा सड़क के महत्वपूर्ण स्थानों पर सीमेंट कंक्रीट के इंटरलॉकिंग पेविंग ब्लॉक उपलब्ध करवाने एवं बिछाने का कार्य।	प्रारंभ तिथि (समय) 18.11.2026, सायं 17:00 बजे समापन तिथि (समय) 17.12.2026, अपराह्न 15:30 बजे तक खोलने की तिथि 18.12.2026 (15:30 बजे)	₹72.88 लाख ₹1,45,800.00
अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता विद्युत एवं कार्यशाला मंडल, बीबीएमबी, सुंदरनगर	वाणिज्यिक उप-मंडल के अंतर्गत पुरानी विद्युत प्रणाली/नेटवर्क की रंगाई-पुताई का कार्य।	प्रारंभ तिथि (समय) 13.11.2026, 15:00 बजे समापन तिथि (समय) 04.12.2026, 15:00 बजे खोलने की तिथि 07.12.2026, 15:00 बजे	₹ 6,20,000 ₹12,500

विस्तृत निविदा सूचना/नियम एवं शर्तें आदि देखने/डाउनलोड करने के लिए कृपया बीबीएमबी की वेबसाइट www.bbmb.gov.in तथा www.etenders.gov.in पर जाएं।
नोट: यदि कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है, तो उसे केवल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

342-पीआर-BD. Sectt.-4 अपने बेहतर कल के लिए आज ही ऊर्जा बचाएं

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया था और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) सीआईएन: L65110TN2014PLC097792 पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टावर्स, 8वीं मंजिल, है रिंगटन रोड, चेतपेट, चेन्नई-600031. दूरभाष: +91 44 4564 4000 फैक्स: +91 44 4564 4022.

IDFC FIRST Bank

सार्वजनिक सूचना
सोने की नीलामी कम आमंत्रण सूचना

इसके द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त उधारकर्ताओं ने सोने के आभूषण गिरवी रखकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (बैंक) से ऋण सुविधाएं प्राप्त की थीं। बार-बार स्मरण कराने तथा सूचनाएं देने के बावजूद उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर ऋण खाते को नियमित करने में विफल रहे हैं। तदनुसार, बैंक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी करेगा। उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पहले लागू ब्याज, शुल्क एवं खर्चों सहित संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करने का यह अंतिम अवसर है। ऐसा न करने पर गिरवी रखे गए सोने के आभूषण नियामकों द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार नीलामी के माध्यम से बेच दिए जाएंगे।

नीलामी की तिथि : 07-दिसंबर-2026 से 09-दिसंबर-2026 तक
सोलन शाखा : 193246345, 186108391, 186647905
नीलामी की तिथि : 22-दिसंबर-2026 से 24-दिसंबर-2026 तक
सोलन शाखा : 193254810, 193666037, 193694616

यदि नीलामी के परिणामस्वरूप कोई अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है, तो उसे संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दिया जाएगा। यदि नीलामी के बाद कोई कमी/शेष बकाया राशि रह जाती है, तो वह राशि उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से उधारकर्ता से वसूल की जाएगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी खाते को नीलामी से हटाने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपने विवेकानुसार बिना कोई पूर्व सूचना दिए नीलामी कार्यक्रम में संशोधन करने अथवा उसे बाद की तारीख तक स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। नीलामी भौतिक माध्यम से इसके सूचीबद्ध नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स श्रीराम ऑटो मॉल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। यदि ग्राहक की मृत्यु हो चुकी है, तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उसके नामित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी पर लागू होंगी।

नीलामी की नियम एवं शर्तें: 1) संबंधित सोने के आभूषणों की बिक्री "जहां है जैसा है", "जो है जैसा है" तथा "जो कुछ भी है" के आधार पर की जाएगी, 2) इच्छुक बोलीदाताओं को बैंक के अधिकृत नीलामी सेवा प्रदाता के पास पंजीकरण करवाना होगा तथा केवाईसी संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना होगा, 3) बोली प्रस्तुत करने से पहले आभूषणों तथा उनकी विशिष्टताओं का निरीक्षण करना और उनसे संतुष्ट होना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। बोलीदाता शाखा प्रबंधक/टीम से परामर्श करके आभूषणों का निरीक्षण कर सकते हैं, 4) उच्चतम बोली बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि की पुष्टि के अधीन होगी, 5) सफल बोलीदाता को निर्धारित समय के भीतर बिक्री की पूरी राशि जमा करवानी होगी। ऐसा न करने पर पहले से जमा करवाई गई राशि जब्त कर ली जाएगी, 6) सोने की पोटलियां एक बार बिक जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में विक्रेता को वापस नहीं की जा सकतीं तथा विजेता बोलीदाता/क्रेता द्वारा उनका भौतिक कब्जा प्राप्त कर लेने के बाद विक्रेता की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, 7) बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि को बिना किसी पूर्व सूचना के अथवा कोई कारण बताए बिना किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या नीलामी रद्द/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित होगा, 8) बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी।

स्थान : हिमाचल प्रदेश — हस्ता/-
दिनांक : 21.11.2026 — आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

HDB FINANCIAL SERVICES
From the trusted family of HDFC Bank

एचडीबी फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड
रजि. कार्यालय: "राधिका", दूसरी मंजिल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009
शाखा कार्यालय: एससीओ-70, प्रथम तल, सैक्टर-47-डी, चंडीगढ़-160047

सरफेसी एक्ट, 2002 के तहत ई-नीलामी बिक्री नोटिस

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने निम्नलिखित ऋण खातों में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसरण में निम्नलिखित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है, जिसे कंपनी के बकाये की वसूली के लिए "जैसा है जहां है" के आधार पर और "जैसा है जो है" के आधार पर बेचने का अधिकार है।

1. उधारकर्ता / ओं और गारंटर /ओं का नाम और पता 2. कुल देय + ब्याज से	संपत्ति का विवरण	1. ई-नीलामी की तिथि और समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. संपत्ति की तिथि और समय	1. आरक्षित मूल्य 2. संपत्ति की ईएमडी
1. फैशन क्रेज, पेट्रोल पंप के पास, सिद्धपुर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-176057, कांगड़ा-176210, हिमाचल प्रदेश तथा खत्ता/खतौनी संख्या 1 मिन/3 मिन, किता 18 में से 228/9644 हिस्से तक, जिसका क्षेत्रफल 0-02-28 हेक्टेयर है, स्थित कांगड़ा-176210। 2. राजा रछपाल सिंह पुत्र तारा सिंह, गांव शीला चौक, डाकघर सिद्धपुर, तहसील धर्मशाला, पेट्रोल पंप के पास, शीला चौक, कांगड़ा-176057, हिमाचल प्रदेश। 3. आयशा पत्नी विनर संधू,मार्फत विनर संधू, पेट्रोल पंप के पास, शीला चौक, डाकघर एवं ग्राम सिद्धपुर, तहसील धर्मशाला, सिद्धपुर 382, सिद्धपुर, कांगड़ा-176210, हिमाचल प्रदेश। 4. विनर संधू पुत्र राजा रछपाल सिंह, पेट्रोल पंप के पास, गांव शीला चौक, डाकघर सिद्धपुर, तहसील धर्मशाला, कांगड़ा-176210, हिमाचल प्रदेश। 5. सुखविंदरजीत कौर पत्नी राजा रछपाल सिंह, पेट्रोल पंप के पास, गांव शीला चौक, डाकघर सिद्धपुर, तहसील धर्मशाला, कांगड़ा-176057, हिमाचल प्रदेश। ऋण खाता संख्या-38057942	भूमि/भवन से युक्त संपत्ति का संपूर्ण भाग एवं खण्ड, जो खेवट संख्या 3 मिन, किता 18 में से 228/9644 हिस्से तक, जिसका क्षेत्रफल 0-02-28 हेक्टेयर है, मोहल होडल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उक्त संपत्ति आयशा के स्वामित्व में है, जो उप-पंजीयक धर्मशाला के कार्यालय में पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 1567/2022 दिनांक 30-07-2022 के माध्यम से प्राप्त की गई है।	1) ई-नीलामी की तिथि: 26.12.2026, प्रात: 10:30 बजे से 11:30 बजे तक, इसके बाद 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, 2) केवाईसी सहित धरोहर राशि जमा करवाने की अंतिम तिथि: 24.12.2026, सायं 5:00 बजे तक, 3) निरीक्षण की तिथि: 21.12.2026, दोपहर 01:00 बजे से 02:00 बजे तक (भारतीय मानक समय)।	आरक्षित मूल्य (भारतीय रुपये में): रु. 1,67,90,400/- (एक करोड़ सड़सठ लाख नब्बे हजार चार सौ रुपये मात्र) ईएमडी राशि (भारतीय रुपये में): रु. 16,79,040/- (सोलह लाख उन्नासी हजार चालीस रुपये मात्र)
1. शिव कुमार शर्मा, फ्लैट संख्या एफआर04, ब्लॉक संख्या 16, सीओ कथा माउंटव्यू ग्रुप हाउसिंग, बद्दी, जिला सोलन, कथा (211), सोलन, हिमाचल प्रदेश-173205 तथा औद्योगिक प्लॉट संख्या 82 एवं 83-ए, औद्योगिक क्षेत्र, बद्दी, गांव लोधीमाजरा, तहसील बद्दी, जिला सोलन-173205 में स्थित। 2. सुपीरियर फार्मास्यूटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट संख्या 82, मानपुरा, लोधीमाजरा, बद्दी औद्योगिक क्षेत्र, सोलन, हिमाचल प्रदेश-173205। 3. आरती शर्मा, फ्लैट संख्या एफआर04, ब्लॉक संख्या 16, माउंट व्यू ग्रुप हाउसिंग, बद्दी, जिला सोलन, बद्दी, सीतलपुर (204), जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश-173205। 4. आर्यन शर्मा, फ्लैट संख्या एफआर04, ब्लॉक संख्या 16, सीओ कथा माउंटव्यू ग्रुप हाउसिंग, बद्दी, जिला सोलन, कथा (211), सोलन, हिमाचल प्रदेश-173205। ऋण खाता संख्या-71001926	औद्योगिक प्लॉट संख्या 82 एवं 83-ए, औद्योगिक क्षेत्र, बद्दी, गांव लोधीमाजरा, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश, भारत में स्थित संपत्ति का संपूर्ण भाग एवं खण्ड, जिसका क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर है तथा जो मैसर्स सुपीरियर फार्मास्यूटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में है, जिसके निदेशक श्री शिव कुमार शर्मा हैं। उक्त संपत्ति पूरक पट्टा विलेख संख्या 1515/2023 दिनांक 03.06.2023 के माध्यम से प्राप्त की गई है।	1) ई-नीलामी की तिथि: 26.12.2026, प्रात: 10:30 बजे से 11:30 बजे तक, इसके बाद 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, 2) केवाईसी सहित धरोहर राशि जमा करवाने की अंतिम तिथि: 24.12.2026, सायं 5:00 बजे तक, 3) निरीक्षण की तिथि: 21.12.2026, दोपहर 01:00 बजे से 02:00 बजे तक (भारतीय मानक समय)।	आरक्षित मूल्य (भारतीय रुपये में): रु. 3,77,64,500/- (तीन करोड़ सतहत्तर लाख चौंसठ हजार पांच सौ रुपये मात्र) ईएमडी राशि (भारतीय रुपये में): रु. 37,76,450/- (सैंतीस लाख छिहत्तर हजार चार सौ पचास रुपये मात्र)

बोली लगाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ब्रांच और नीलामी में रखी गई प्रॉपर्टीज पर जाएं, और चार्ज, बोझ के बारे में जरूरी जानकारी लें। खरीदार खुद जांच करेगा और एक्स्ट्रा चार्ज, बोझ और किसी भी थर्ड पार्टी के हितों का पता लगाएगा और सभी मामलों में खुद को संतुष्ट करेगा। सभी वैधानिक देय जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली का बकाया और प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी दूसरे बकाया, अगर कोई हों, तो सफल बोली लगाने वाले/खरीदार को पता लगाकर उनका पेमेंट करना चाहिए। बोली लगाने वाले/संभावित खरीदार से रिक्वेस्ट है कि वे अपने फायदे के लिए, बोली जमा करने से पहले, ऊपर बताई गई प्रॉपर्टी/प्रॉपर्टीज से जुड़ी दूसरी जरूरी डिटेल्स के बारे में खुद को संतुष्ट कर लें। ऑनलाइन टेंडर/नीलामी की नियम और शर्तें: (1) नीलामी बिक्री वेबसाइट https://www.bankeauctions.com या ऑक्शन टाइगर मोबाइल एप्प के माध्यम से उपरोक्त तालिका में उल्लिखित तिथियों पर 5 मिनट के असीमित एक्सटेंशन के साथ "ऑनलाइन ई-नीलामी" बोली होगी। (2) इच्छुक बोलीदाता अपना ईएमडी वेब पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** के माध्यम से जमा करेंगे: (यूजर आईडी और पासवर्ड https://www.bankeauctions.com पर नाम पंजीकृत करके निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से। ईएमडी उपरोक्त खाते में एनईएफटी के माध्यम से देय होगा। वेब पोर्टल में बोलीदाता द्वारा पंजीकरण (एक बार) के बाद, इच्छुक बोलीदाता/खरीदार को बोली दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि और समय से पहले वेब पोर्टल पर निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करवानी आवश्यक है अर्थात् i) एनईएफटी/आरटीजीएस चालान या डिमांड ड्राफ्ट की प्रति ii) पैन कार्ड की कॉपी iii) पहचान/पते का प्रमाण (केवाईसी) अर्थात मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट इत्यादि की स्व-सत्यापित प्रति; जिसके बिना बोली अस्वीकृत हो सकती है। अनुलग्नक- II व III की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करना (वेब पोर्टल: https://www.bankeauctions.com से डाउनलोड की जा सकती है) विधिवत भरने और हस्ताक्षर करने के बाद भी आवश्यक है। इच्छुक बोलीदाता जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली दस्तावेज जमा करने, ऑनलाइन आपसी बोली पर प्रशिक्षण/प्रदर्शन आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे मेसर्स सी1 एफएम प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर-44, गुड़गांव-122003 श्री धरणी कृष्ण, ईमेल id-andhra@c1india.com से संपर्क कर सकते हैं; ph.no-9948182222 और प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी सवाल के लिए ऑथराइज्ड ऑफिसर: श्री विकास आनंद; मोबाइल नंबर: 9711010384, ईमेल ID: vikas.anand@hdbfs.com, नवल किशोर; मोबाइल नंबर: 7696442530 ईमेल ID: navaLkishore@hdbfs.com, से सोमवार से शनिवार तक काम के घंटों में संपर्क कर सकते हैं। (3) इच्छुक खरीददार/बोली लगाने वाले को "एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड" के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी, जो लुधियाना में बराबर देय हो या "एचडीबीएफएस जनरल कॉलेस" के खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस हो; खाता संख्या 00210310002748; आईएफएससी कोड HDFC0000021; एमआईसीआर कोड: MICR500240002; शाखा: लकड़ी का पुल, हैदराबाद; ऊपर उल्लिखित तारीख और समय तक या पहले (कृपया ऊपर दी गई तालिका में उल्लिखित विवरण देखें) और https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करें और उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें और सेवा प्रदाता से ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करें, वेब-साइट पर उनके पंजीकरण के बाद, इच्छुक खरीददार/बोली लगाने वाले को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करवानी होंगी (1. एनईएफटी/आरटीजीएस चालान/डीडी कॉपी/ भुगतान आदेश की प्रति; 2. पैन कार्ड की प्रति और 3. पते के प्रमाण की प्रति (पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड या आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पंजीकृत छुट्टी लाइसेंस समझौता)} ऊपर दी गई तालिका में उल्लिखित ईएमडी जमा करने की आखिरी तारीख से पहले या उससे पहले वेबसाइट पर और साथ ही साथ ऊपर उल्लिखित शाखा में इसकी हार्डकॉपी जमा करें। (4) बोली के साथ ईएमडी (आरक्षित कीमत की 10% के बराबर) HDB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड" को AT PAR/चंडीगढ़ में या NEFT/RTGS के जरिए "HDBFS जनरल कॉलन्स" के अकाउंट में जमा करना होगा; अकाउंट नंबर 00210310002748; IFSC कोड- HDFC0000021; MICR कोड: MICR500240002; ब्रांच: लकड़ी का पुल, हैदराबाद; ऊपर बताई गई तारीख और समय को या उससे पहले। (5) जो बिड नहीं भरी जाती हैं या आखिरी तारीख के बाद मिलती हैं, उन्हें इनवैलिड बिड माना जाएगा और उन्हें तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। EMD पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। एक बार बिडर के बिड जमा करने के बाद, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। अगर बिडर बिड प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेता है, तो बिडर द्वारा जमा की गई EMD बिना किसी और मदद के जब्त कर ली जाएगी। हालांकि, असफल बिडर द्वारा जमा की गई EMD बिना इंटरेस्ट के वापस कर दी जाएगी। (6) जमा की जाने वाली बोली की कीमत आरक्षित मूल्य से अधिक होगी साथ ही इसमें 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये मात्र) की वृद्धि भी होगी और बोलीदाता को अपनी पेशकश को 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये मात्र) के गुणक में और बेहतर करना होगा। संपत्ति को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। (7) सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 25% (ईएमडी सहित) तुरंत लेकिन अगले कार्यदिवस से पहले "एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड" के पक्ष में PAR/चंडीगढ़ में देय डिमांड ड्राफ्ट या एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से "एचडीबीएफएस जनरल कॉलंस" के खाते में जमा करना होगा; खाता संख्या 00210310002748; आईएफएससी कोड-एचडीएफसी0000021; एमआईसीआर कोड: MICR500240002 ब्रांच: लकड़ी का पुल, हैदराबाद और सेल प्राइस का बाकी अमाउंट सफल बिडर को कंपनी द्वारा सेल कन्फर्म होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर देना होगा। इंटरेस्टेड बिडर द्वारा दी गई EMD और सेल प्राइस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर सफल बिडर सेल की शर्तों को मानने में फेल रहता है या कोई डिफॉल्ट करता है, तो EMD या सेल प्राइस का 10% डिपॉजिट, जो भी हो, कंपनी जब्त कर लेगी। (8) सेल की शर्तों का पालन करने पर, ऑथराइज्ड ऑफिसर सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले के फेवर में "सेल सर्टिफिकेट" जारी करेगा। स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज, कन्वेयंस, TDS वगैरह से जुड़े सभी खर्चे खरीदार को उठाने होंगे। (9) कंपनी किसी भी अथॉरिटी से या किसी दूसरे कानून के तहत दी गई प्रॉपर्टी या किसी दूसरे ड्यूज जैसे पानी/बिजली का बकाया, प्रॉपर्टी टैक्स या दूसरे चार्ज, अगर कोई हों, के संबंध में परमिशन/NOC लेने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। (10) सफल बोलीदाता को विकास प्राधिकरण के लंबित बकाये, यदि कोई हो/कर/उपयोगिता बिल आदि, नगर निगम या किसी अन्य प्राधिकरण/एजेंसी को और बिक्री प्रमाणपत्र के पंजीकरण के लिए स्टांप शुल्क/पंजीकरण शुल्क आदि के लिए देय शुल्क सहित सभी खर्चे वहन करने होंगे। (11) प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी या सभी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए बिक्री को स्थगित/रद्द करने या बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री की शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार और विवेकाधिकार सुरक्षित है। अचल संपत्ति सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेची जाएगी। हालांकि, प्राधिकृत अधिकारी को आवश्यक समझे जाने पर आपसी बोली की अनुमति देने का पूर्ण विवेकाधिकार सुरक्षित है। (12) कंपनी की सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, कंपनी के अतिरिक्त बेची जाने वाली संपत्ति पर किसी अन्य प्रकार का कोई भार नहीं है। तथापि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति का स्वयं आकलन करना चाहिए। कंपनी किसी भी प्रकार से उक्त संपत्ति की उपयुक्तता/शीर्षक के संबंध में कोई गारंटी नहीं देती है और न ही कोई अभ्यावेदन करती है। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, अधिकृत अधिकारी को उक्त संपत्ति के संबंध में सरकार अथवा किसी अन्य व्यक्ति/संस्था के किसी भी प्रभार, ग्रहणाधिकार, भार, संपत्ति कर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के बकाये के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। (13) नोटिस में बकाया रकम पर लोन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, लागू होने पर और इंटरेस्ट लिया जाएगा और इंसिडेंटल खर्चे, कॉस्ट वगैरह, तब तक देने होंगे जब तक कि यह असल में मिल न जाए। (14) यह नोटिस बॉरोअर/मॉर्टगेजर को दिया जाता है कि वे सेल के समय खुद मौजूद रहें और वे सेल के टर्म्स एंड कंडीशंस के डिटेल्स के अनुसार,